



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र/अकादमिक/2024/2090

भोपाल, दिनांक 06.02.2024

आदेश

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक दृष्टि से तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पद (पालनायकित्व)	अतिरिक्त प्रभार
श्री विवेक शाक्य, सहायक कुलसचिव,	महायक कुलसचिव, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ विभाग	लोक सूचना अधिकारी

उपरोक्त अधिकारी उक्तानुसार प्रदत्त अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहण करते हुए निर्धारित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार


^{sd}
(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

पु क्रमांक/अका/2024/ 2090

भोपाल दिनांक 06.02.2024

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति/कुलसचिव की और सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों/परिसर प्रभारियों/शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. श्री विवेक शाक्य, सहायक कुलसचिव, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ विभाग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती।
6. वेब साइट पर।


प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी
कुलसचिव



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अकादमिक/2022/1013

भोपाल, दिनांक 18.07.2022

आदेश

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 652 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा श्री दीपक चौकसे, प्रोड्यूसर के अर्जित अवकाश अवधि के दौरान उनके कार्य एवं दायित्वों का आवंटन किया गया था। श्री चौकसे के द्वारा दिनांक 04.07.2022 को अपना दायित्व ग्रहण कर लिया गया है। उनके दायित्वों का पुनः निर्धारण दिनांक 04.07.2022में निम्नानुसार किया जाता है।

क्र.	शिक्षकों/अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना/दायित्व	अतिरिक्त प्रभार
1.	श्री गिरीश जोशी महायक कुलसचिव	अकादमिक विभाग	लोक सूचना अधिकारी
2.	श्री दीपक चौकसे प्रोड्यूसर	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग	विधि अधिकारी
3.	श्री मुकेश चौधरी उपयंत्री	निर्माण विभाग	संधारण प्रभारी
4.	श्री अकित कुमार पाण्डेय परियोजना समन्वयक	परियोजना समन्वयक	मुख्यालय एवं विशनखेडी परिसर के बाग- बगीचो का संधारण

उपरोक्त अधिकारी उक्तानुसार प्रदत्त अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(Signature)

श्री (प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 18.07.2022

पृ.क्रमांक/अका/2022/1014

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति /कुलसचिव की और सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों/परिसर प्रभागियों/शाखा प्रभागियों को सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आदेश पुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती।

(Signature)

श्री (प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अकादमिक/2022/652

भोपाल, दिनांक 06.05.2022

आदेश

निर्देशानुसार श्री दीपक चौकसे, प्रोफेसर के अर्जित अवकाश दिनांक 09.05.2022 से 01.07.2022 तक कुल 53 दिनों की अवधि के लिए उनके कार्य दायित्वों का प्रभार निम्नानुसार आवंटित किया जाता है।

क्र.	शिक्षकों/अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना/दायित्व	अतिरिक्त प्रभार
1.	श्री गिरीश जोशी सहायक कुलसचिव	अकादमिक विभाग	लोक सूचना अधिकारी
2.	श्री राजेश शर्मा	निज सचिव (कुलपति कार्यालय)	विधि अधिकारी
3.	श्री मुकेश चौधरी	उपयंत्री	भवन एवं संबंधित व्यवस्थाओं का संधारण
4.	श्री अंकित कुमार पाण्डेय	परियोजना समन्वयक	मुख्यालय एवं विशनखेडी परिसर के बाग-वगीचो का संधारण

उपरोक्त अधिकारी उक्तानुसार प्रदत्त अतिरिक्त दायित्वों का निर्वाहन करते हुए निर्धारित कार्यों का निष्पादन गतिश्चित करें।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

51
(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

पृ.क्रमांक/अका/2022/653

भोपाल दिनांक 06.05.2022

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति /कुलसचिव की और सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों/परिसर प्रभारियों/शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आदेश पूर्तिवा/व्यक्तिगत तस्वी।

51
(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रं./अकादमिक/2021/ 614

भोपाल, दिनांक 15.04.2021

आदेश

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/331/प्रशा./2019 दिनांक 13 फरवरी 2019 के अनुक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम (क्रमांक -22) 2005 की धारा 5 (1) एवं 19 (2) (i) के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के लिए लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है:-

क्रं.	नाम व पदनाम	अधिनियम की धारा 5 (1) अंतर्गत
1	श्री दीपक चौकसे, प्रोड्यूसर	लोक सूचना अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर भोपाल मुख्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी रहेगा। विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों में पूर्वानुसार यथावत स्थिति रहेगी।
(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार


^{sd}
(प्रो. डॉ. पवित्र श्रीवास्तव)
प्रभारी, कुलसचिव

पृ./अका/2021/ 615

भोपाल, दिनांक 15.04.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित/-

1. निज मंचिब कुलपति/ कुलमंचिब कार्यालय की और सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारियों/ अधिकारियों की और सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. वित्त अधिकारी, लेखा शाखा की और सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. श्री दीपक चौकसे, प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रानिक मीडिया विभाग को सूचनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती।


(प्रो. डॉ. पवित्र श्रीवास्तव)
प्रभारी, कुलसचिव